

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 163/202016

हरीराम पुत्र आसाराम जाति खाति निवासी लालगढ तहसील सूरतगढ  
जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू-राजस्व अधि. 1956

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 04.06.2007

उपस्थिति :-

श्री सर्वजीत छाबडा, अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता


निर्णय

दिनांक :- 28.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को रोही लालगढ के ख.नं. 135 की 7.10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश किया जिसपर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त भूमि का आवंटन न करते हुए भूमि को खारिज कर अधिशेष घोषित करने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि आरजी काश्त पर आवंटन थी जिसका समय-समय पर आवंटन होता रहा। उक्त भूमि को पुख्ता आवंटन करवाने हेतु प्रा.पत्र पेश

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)


किया। अधी. न्यायालय द्वारा जो पूर्व में भूमि की गणना की है वह सही नहीं की है। राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि de-colony घोषित की है। अब उक्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सूरतगढ को खातेदारी अधिकार देने के अधिकार है जिस हेतु तहसीलदार को प्रा.पत्र पेश कर दिया है चूंकि अधी. न्यायालय द्वारा आवंटन खारिज कर दिया है। इसलिए यह अपील पेश की है। इस सम्बन्ध में वकील से राय करने पर , नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली तहसीलदार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज करने योग्य है। अपीलांट स्वयं यह स्वीकार करता है कि उन्होंने तहसीलदार को प्रा. पत्र पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष ही कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील मीमों के साथ limitation Act की धारा 5 के प्रा.पत्र पर अपीलार्थी ने अंगूठा लगाया है जो जाहिर करता है कि अपीलार्थी एक अनपढ व्यक्ति है तथा कानूनी जानकारी का अभाव है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष की बहस सुनी। अपील का केन्द्र बिन्दु है कि अपीलार्थी की अस्थाई आवंटन के ख.नं. 135 में 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पुख्ता आवंटन नहीं की गई , नहीं करने का कारण उसकी पात्रता के Notional share की गलत गणना करना जाहिर किया है एवं जिन नियमों के तहत भूमि आवंटन का आवेदन निरस्त हुआ है भूमि de-colony के रूप में Notify होने से वे नियम प्रभावी नहीं तथा राज्य सरकार के Notification दिनांक 31.05.2008




  
28/11/17  
राजस्व अपील प्रधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)

पठित आदेश दिनांक 4 जुलाई 2007 के तहत अनुतोष दिया जाकर खातेदारी की मांग की।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी की पात्रता की गणना Notional share अनुसार नहीं अपितु स्वयं के नाम दर्ज खातेदारी भूमि आधार मानकर भूमि अधिक होने की रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ पत्रावली पर उपलब्ध है। अधी. न्यायालय ने पात्रता का बिन्दु कानूनी ढंग से विवेचित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईस नहीं है। अतः अपीलार्थी को राज्य सरकार के परिपत्रों का लाभ तभी दिया जा सकता है जब आधारभूत रूप से उसकी पात्रता प्रमाणित होती हो तथा आवंटन नियम 1970 के नियमों में खातेदारी अधिकार तभी दिये जा सकते जब वह गैर खातेदार दर्ज हो जो नहीं होने पर प्रावधान भी लागू नहीं होते। अतः अपील अपीलांत खारिज कर तहसीलदार सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि इस आराजी को कब्जा राज लेकर 7 दिन में रिपोर्ट पेश करे तथा कब्जा राज लेने के पश्चात काश्त हेतु इस न्यायालय से सक्षम आदेश प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(प्रकाश परमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
(श्रीगंगानगर राज.)